www.cbi.gov.in

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
सूचना अनुभाग
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स लोधी रोड,
नई दिल्ली, 110003

प्रेस विज्ञप्ति
नई दिल्ली, 22.02.2017

मुठभेड़ में चार मजदूरों की हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस के तत्कालीन चार कर्मियों को आजीवन कारावास

सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश, गाज़ियाबाद (उत्तर प्रदेश) ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के तहत भोजपुर पुलिस स्टेशन (उ.प्र.) में कार्यरत सर्वश्री लाल सिंह, तत्कालीन एस.ओ. ; जोगिन्दर सिंह, तत्कालीन उप-निरीक्षक ; सूर्य भान, तत्कालीन सिपाही तथा सुभाष चन्द्र, तत्कालीन सिपाही को जिसमें तत्कालीन एस.ओ. को दो लाख रू., तत्कालीन उप-निरीक्षक को एक लाख रू. व प्रत्येक सिपाही पर 50,000 रू. जुर्माने सहित आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने आगे सभी आरोपियों पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 के अपराधों में प्रत्येक पर 10,000 जुर्माने सहित दो वर्ष की कठोर कारावास एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 201 के अपराधों में प्रत्येक पर 20,000 जुर्माने सहित 04 वर्ष की कठोर कारावास की सजा दी। सभी सजाएँ एक साथ चलेगीं। अदालत ने इसके अतिरिक्त निर्देश दिया कि कुल जुर्माने का 50% सभी चार पीड़ितों के परिवारिक सदस्यों को बराबर-बराबर दिया जायेगा।

सीबीआई ने उत्तर प्रदेश सरकार के निवेदन पर दिनांक 10.04.1997 को मामला दर्ज किया एवं पूर्व में भोजपुर पुलिस स्टेशन, जिला गाज़ियाबाद (उ.प्र.) में अपराध संख्या 142/96, 143/96, 144/96, 145/96 एवं 146/96 के तहत दर्ज मामले की जाँच को अपने हाथों में लिया। ऐसा आरोप था कि जिला गाज़ियाबद निवासी सर्वश्री जसबीर सिंह, जलालुद्दीन, अशोक एवं प्रवेश को दिनांक 08.11.1996 को जबकि ये व्यक्ति कथित रूप से पुलिस दल पर फायर कर रहे थे, को भोजपुर पुलिस स्टेशन के पुलिस कर्मियों के द्वारा एनकाउण्टर में मार दिया गया।

सीबीआई द्वारा की गई जाँच में खुलासा हुआ कि दिनांक 08.11.1996 को एनकाउण्टर में पुलिस के द्वारा चार मासूम व्यक्तियों की हत्या कर दी गई। उन लोगों का कोई अपराधिक

रिकार्ड नही था या किसी आपराधिक मामले में भोजपुर पुलिस स्टेशन या नजदीक के किसी पुलिस स्टेशन के द्वारा वांछित नही थे। उन लोगों के पास कोई हथियार नही थे और पुलिस दल पर फायर भी नही किया जैसा कि एफ.आई.आर. में गलत तरीके से दर्शाया गया था। जॉंच से आगे पता चला कि मृतक मजदूर थे एवं दिनांक 08.11.1996 को भोजपुर पुलिस स्टेशन के पुलिस कर्मियों के द्वारा पकड़ लिए गए थे। इसके पश्चात, उन लोगो को मोदी नगर-हापुड़ रोड (उ.प्र.) में मचेरी की पुलिया पर ले जाया गया और एनकाउण्टर में मारा दर्शाया गया।

गहन जॉंच के पश्चात, सीबीआई ने 2001 के दौरान पॉंच आरोपी व्यक्तियों के विरूद्ध आरोप पत्र दायर किया। विचारण के दौरान, एक सिपाही की मृत्यु हो गई। 99 अभियोजन गवाहों से जॉंच पड़ताल की गई।

विचारण अदालत ने चार आरोपी व्यक्तियों को कसूरवार पाया एवं उन्हे 20.02.2017 को दोषी करार दिया।

****